पत्रावली आज कैम्प कोर्ट बामनकारा में पेश हुई। प्रकरण के संबंधित वाद पत्र का निस्तारण हो चुका है प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई औचित्य नहीं रह गया है प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है पत्रावली कैंसल शुमार होकर नम्बर के क्रम से तथा दाखिल दफ्तर हो।

...कारी